कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर ( आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :— 139/2013

दायर दिनांक 26/12/2013
निर्णय दिनांक 13/07/2015

1— श्रीमती तुलसी देवी पत्नि श्री प्रेमचन्द चमार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सरोदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

— वादीया

**बनाम**

2—.श्री अरजी पिता श्री नवला चमार उम्र वयस्क निवासी सरोदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रतिवादी—

**वाद खसरा संख्या 8752/7808 रकबा सात बिस्वा मौजा सरोदा के 45 X 30 फीट भाग पर से अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा दिलाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने अर्न्तगत धारा 183,188 राज. काश्तकारी अधिनियम —**

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम सरोदा संवत 2065 दो हजार पैसठ से 2068 दो हजार अडसठ के खाता नम्बर 121 एक सौ इक्कीस का खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/सात हजार आठ सौ आठ [redacted] रकबा एक बीघा पन्द्रह बिस्वा का श्री गंगाराम पिता श्री लवजी चमार निवासी सरोदा खातेदार काश्तकार है। वादिया ने खाता नम्बर 121 एक सौ इक्कीस का खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ [redacted] रकबा एक बीघा पन्द्रह बिस्वा का श्री गंगाराम पिता श्री लवजी चमार निवासी सरोदा खातेदार काश्तकार है से उक्त खसरा की भूमि मे से सात बिस्वा भूमि को रुपया 95000/— अक्षरे रुपया पचानवे हजार रुपया मे दिनांक 11.07.2012 गयारह जुलाई दो हजार बारह को वादीया के क्रय किया है। जिसका विक्रयपत्र श्री गंगाराम ने प्रतिष्ठीत गवाहान के समक्ष लिखवाकर वादीया के पक्ष मे सम्पादित कर दिया तथा पंजीयन करवाया गया है तथा वादीया को कब्जा सुपुर्द किया गया है। जिसका मौके के अनुसार नाप पूर्व तरफ 42 बयालीस फीट, पश्चिम तरफ अडतीस 38 फीट , उत्तर तरफ 160 एक सौ साठ फीट, दक्षिण की तरफ 166 एक सौ छियासठ फीट है। जिसके पूर्व मे प्रेमजी पिता श्री लवजी यादव का मकान, पश्चिम मे रास्ता छोडकर विक्रेता स्वयं की भूमि है उत्तर मे विक्रेता स्वयं के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2722 दो हजार सात सौ बाइस प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार वादीया खाता नम्बर 121 एक सौ इक्कीस का खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा की खातेदार काश्तकार है और क्रय करने की दिनांक 11.07.2012 ग्यारह जुलाई दो हजार बारह से इस पर काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग कर रही है।

प्रतिवादी का खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा से किसी प्रकार का लेना देना नही है। वादीया ने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने प्रतिवादी को उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरीत नही किया है और न ही सिपूर्द किया है। जुलाई दो हजार तेरह मे प्रतिवादी ने खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा भूमि के पूर्व तरफ आम सडक की ओर पूर्व पश्चित 45 फीट तथा उत्तर दक्षिण 30

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

फीट भूमि पर वादीया के विरोध करने के बावजुद वादीया की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा एवं निरक्षरता का एवं उसके पति श्री प्रेमचन्द के व्यवसाय हेतु बाहर रहने का लाभ उठाकर जबरन स्थायी मकान का निर्माण करने भूमि के कुछ भाग पर पत्थर डाल दिये है तथा मकान की दिवालो का निर्माण कर लिया है। वादीया के द्वारा प्रतिवादी को कब्जा हटाने को कहने पर प्रतिवादी ने अतिशीध्र कब्जा हटा लेने का आश्वासन देते हुए आज कल करते हुए टालमटोल कर समय गुजारता रहा है। विवादग्रस्त भूमि मुख्य आम रोड के करीब आ गई है। इस कारण प्रतिवादी के मन मे बदनियति पैदा हो गई है और वह वादीया के स्वामीत्व की भूमि को खाली कर कब्जा सिपूर्द करना नही चाहता है और वादीया के स्वामीत्व और कब्जे की खसरा संख्या 8752/7808 की अन्य भूमि पर भी अनाधिकृत रुप से कब्जा कर बाड लगाने तथा परकोटा बनाने का प्रयास अक्सर करता है। वादीया के द्वारा अन्तिम बार सितम्बर 2012 के आखिर सप्ताह मे कब्जा हटा लेने प्रतिवादी को ताकीद की तो प्रतिवादी ने वादीया को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि पुलिस के सहयोग से झूठे मुकदमो मे फॅसा दूगा और पूरी भूमि पर कब्जा कर लूगा। प्रतिवादी के इस तरह के व्यवहार से वादीया को विश्वास हो गया है कि प्रतिवादी वादीया की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नही हटायेगा और प्रतिवादी कभी भी बलप्रयोग कर वादीया की शेष भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास करेगा । वादीया प्रतिवादी के द्वारा किये गये अतिक्रमण को न्यायालय आपकी सहायता के बिना हटाने मे सक्षम नही है। इस कारण वादया को यह वाद पेश करना आवश्यक हूवा है।

प्रतिवादी को खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा के किसी भी भाग पर अतिक्रमण कर काबिज होने का किसी भी प्रकार का अधिकार नही है। वादीया के अधिकारी को इस तरह की क्षति पहूच रही है जिसका कि मूल्याकंन किया जाना संभव नही है और इस प्रकार वादीया को अपूरणीय क्षति हो रही है। वादीया प्रतिवादी के द्वारा खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा मौजा सरोदा के कराडा से केसरापुरा जाने वाले आम जन मार्ग की ओर के भाग की 45 X 30 भूमि पर कुछ समय पूर्व वादीया की अनुमति के बिना अतिक्रमण कर मकान का स्थायी निर्माण करने दिवालो का निर्माण किया है तथा कुछ भूमि पर पत्थर डाल दिये है को विध्वंश कराया जाकर इस भाग का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीया आर्थिक रुप से कमजोर है तथा उसका पति अपनी आजीविका के लिये बाहर रहता है और प्रतिवादी वादीया के मुकाबले मे आर्थीक रुप से सुदृढ तथा राजनैतिक रुप से प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रतिवादी ने वादीया को धमकी दी है कि वह वादीया को झूठी फौजदारी कार्यवाही मे फंसा कर उनकी भूमि पर कब्जा कर लेगा और अपनी इस धमकी को क्रियान्वित करने के लिये प्रतिवादी कभी भी अपने सहयोगियो के साथ बल प्रयोग कर वादीया के विरुद्ध झूॅठी कार्यवाही कर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेगा और वादीया के द्वारा इसका विरोध किये जाने पर शान्ति भंग होगी तथा वादीया के जीवन को संकट उत्पन्न होगा तथा वादीया को इस प्रकार की मानसिक वेदना तथा परेशानी होगी तथा उसके अधिकारो को इस प्रकार की क्षति होगी जिसका कि मूल्याकंन किया जाना तथा पूर्ति किया जाना संभव नही होगा तथा भूमि की किस्म मे परिवर्तन होगा एवं वाद विविधता बढेगी। इस कारण वादीया के अधिकारो की रक्षा हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वादीया खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा मौजा सरोदा की खातेदार काश्तकार है। वादीया का वाद प्रथमदृष्टया हैं तथा सुविधासन्तुलन का बिन्दू तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी वादीया के पक्ष मे है। वादीया की आजीविका का मुख्य साधन काश्त है। वाद कारण प्रतिवादी के द्वारा वादीया की खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा मौजा सरोदा के उत्तरी दक्षिण कराडा से केसरपुरा जाने वाले रोड की ओर के भाग की 45

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

X 30 भूमि पर कुछ समय पूर्व मकान का स्थायी निर्माण करने दिवालो का निर्माण किया है तथा कुछ भूमि पर पत्थर डाल दिये है पर से अतिक्रमण हटाकर कब्जा सुपूर्द करने का अनुरोध किया परन्तु अन्तिम बार सितम्बर 2013 के अन्तिम सप्ताह मे प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से इन्कार करने से तथा वादीया को झूठे मुकदमो में फंसाकर पूरी भूमि पर कब्जा कर लेने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रतिवादी का अतिक्रमण की गई भूमि पर कब्जा बना रहने से प्रतिदिन उत्पन्न होता रहता है। मौजा सरोदा का खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा मौजा सरोदा के उत्तरी दक्षिण कराडा से केसरपुरा जाने वाले रोड की ओर के भाग की 45 X 30 भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण कर मकान का स्थायी निर्माण करने दिवालो का निर्माण किया गया है को विध्वंश कराया जाकर भूमि का पुनः कब्जा दिलवाया जावे । वाद की कार्यवाही के दौरान यदि प्रतिवादी के द्वारा वादीया की शेष भूमि पर अथवा उसके किसी भी अंश पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेवे तथा किसी प्रकार का निर्माण कर लिया जावे तो उसको विध्वंश किया जाकर वादीया को पुनः उस भाग का कब्जा दिलवाया जावे । उक्त प्रकार से खाली करा कर सुपूर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 8752/7808 आठ हजार सात सौ बावन/ सात हजार आठ सौ आठ सात बिस्वा के संबंध मे प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी , प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल नही करे और काश्त से अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल नही करे और काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे । प्रतिवादी द्वारा बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित न होने पर प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 11.11.14 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रकरण तनकी कायम न कर साक्ष्य वादी मे नियत किया गया । वादी द्वारा जमाबन्दी संवत् 2065 – 2068 खांता संख्या 121 मौजा सरोदा (Ex1) तथा विक्रय पत्र वादीया के मे दिनांक 11.07. 2015 (Ex2) आदि साक्ष्य प्रस्तुत किए । गवाह के रुप मे वादिया का शपथ – पत्र (PW 1) प्रस्तुत किया । वादिया के बयान करवा साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए। निर्णय निम्नानुसार है

वादिया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम सरोदा संवत् 2065 – 2068 खाता संख्या संख्या 121 खसरा संख्या 7148 व 8752/7808 रकबा 4 बिस्वा व 1 बीघा 15 बिस्वा जो गंगाराम पिता लवजी चमार के खाते दर्ज है। उक्त आराजी मे से खसरा संख्या 8752/7808 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे से 07 बिस्वा भूमि विक्रय से नामा. संख्या 2722 द्वारा वादिया के नाम दर्ज हुई। वादिया वादग्रस्त आराजी मे से 07 बिस्वा भूमि श्री गंगाराम पिता लवजी चमार द्वारा विधिवत् रुप से पंजियन करवा वादिया से प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द किया गया है अतः स्पष्ट रुप से वादिया का वादग्रस्त आरजी पर अधिकार सिद्ध होता है। अतः वाद वादिया स्वीकार कर डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादिया की खातेदारी भूमि खाता संख्या 121 खसरा संख्या 8752/7808 रकबा 7 बिस्वा पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न करें तथा मौजुद अतिक्रमण को हटा लेवे । इस आशय को डिकी जारी है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी (बांसवाड़ा)

Scanned by CamScanner